समान नागरिक संहिता

केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड में इसके सफल कार्यान्वयन का हवाला देते हुए देश भर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यूसीसी क्या है?

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य रीति-रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होने वाले एकीकृत कानूनी ढांचे से बदलना है। यह समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हुए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे क्षेत्रों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत संबोधित करना चाहता है।

यूसीसी की मुख्य विशेषताएं:

1. कानूनों में एकरूपता: सभी धर्मों में नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट स्थापित करता है।

2. लैंगिक समानता: व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाता है, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित।

3. धर्मनिरपेक्ष कानूनी प्रणाली: नागरिक कानून को धर्म से अलग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून धर्म-तटस्थ हों।

4. राष्ट्रीय एकीकरण: एक समान कानूनी पहचान बनाकर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।

5. कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण: विविध व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं को सुव्यवस्थित करता है।

यूसीसी को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे और अनुच्छेद:

• अनुच्छेद 44: राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आदेश देता है।

• अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

• अनुच्छेद 25: धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो धार्मिक प्रथाओं को कानूनी एकरूपता के साथ संतुलित करने के बारे में सवाल उठाता है।

• सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5, जो विशेष रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार सहित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, जो व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कानून बनाने की अनुमति देती है।

भारत में यूसीसी की आवश्यकता:

1. लैंगिक समानता: व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करता है।

उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधारों ने बेटियों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को समान लाभों से बाहर रखा।

2. व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना: कानूनी खामियों को दूर करके धर्मों में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

उदाहरण के लिए अपराधीकरण से पहले ट्रिपल तलाक के दुरुपयोग के उदाहरण।

3. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है: विभिन्न समुदायों को एक कानूनी ढांचे के तहत एकजुट करता है। उदाहरण के लिए, लगातार सांप्रदायिक तनाव कानूनी एकरूपता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। 4. कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है: अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को कम करता है। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में समुदायों के बीच उत्तराधिकार के अधिकारों पर विवाद। 5. हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करता है: अल्पसंख्यकों के लिए न्यायसंगत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जनजातीय समुदायों को अक्सर मौजूदा प्रथागत प्रथाओं के तहत असमानताओं का सामना करना पड़ता है। सर्वोत्तम प्रथाएँ: • o गोवा की समान नागरिक संहिता प्रथा: 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में निहित, विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को अनिवार्य करता है और बेटों और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार प्रदान करता है, जो सभी निवासियों के बीच लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देता है। o उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, जिसने अनुसूचित जनजातियों को छूट देते हुए, धर्म की परवाह किए बिना सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप पर एक समान कानून स्थापित किए। यूसीसी पर नेताओं के विचार: 1. बी.आर. अंबेडकर: व्यक्तिगत कानूनों सहित सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने की राज्य की शक्ति पर जोर दिया। 2. के.एम. मुंशी: यूसीसी को राष्ट्रीय एकता से जोड़ा और सामाजिक प्रथाओं को आधुनिक बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। 3. सुप्रीम कोर्ट: 2019 जोस पाउलो कॉउटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वैलेंटिना परेरा मामले में, कोर्ट ने गोवा में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की सराहना की और इसे पूरे देश में अपनाने का आग्रह किया। 4. 2018 में न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में 21वें विधि आयोग ने कहा कि उस समय समान नागरिक संहिता आवश्यक या वांछनीय नहीं थी, जिसमें देश की बहुलता के साथ धर्मनिरपेक्षता के सह-अस्तित्व पर जोर दिया गया था। यूसीसी के लिए चुनौतियाँ: 1. धार्मिक विरोध: यूसीसी द्वारा धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन करने की चिंताएँ। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत कानून सुधारों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों का कड़ा प्रतिरोध। 2. विविध रीति-रिवाज: भारत का बहुलवादी समाज एक समान संहिता को लागू करना जटिल बनाता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और कर्नाटक में हिंदू समुदायों के बीच संपत्ति के अधिकारों में क्षेत्रीय अंतर। 3. राजनीतिक संवेदनशीलता: वोट बैंक की राजनीति के लिए यूसीसी का इस्तेमाल किए जाने के आरोप। उदाहरण के लिए, चुनावों के दौरान यूसीसी चर्चाओं के पीछे राजनीतिक उद्देश्यों के आरोप। 4. कानूनी अस्पष्टता: यूसीसी को मौजूदा कानूनों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, इस पर स्पष्टता का अभाव। उदाहरण के लिए, आदिवासी और प्रथागत कानूनों को एकीकृत करने के तरीके पर बहस। 5. जन जागरूकता: आम जनता के बीच यूसीसी के निहितार्थों की सीमित समझ। उदाहरण के लिए, मणिपुर में यूसीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इसके उद्देश्य के बारे में गलत धारणाओं को उजागर करते हैं। आगे की राह: 1. समावेशी संवाद: आम सहमति बनाने के लिए सभी धर्मों और समुदायों के हितधारकों को शामिल करें। 2. चरणबद्ध कार्यान्वयन: विवाह, विरासत और गोद लेने जैसे सामान्य क्षेत्रों से शुरू करें। 3. जन जागरूकता अभियान: गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए नागरिकों को यूसीसी के लाभों के बारे में शिक्षित करें। 4. धार्मिक स्वतंत्रता को संतुलित करना: सुनिश्चित करें कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक अधिकारों को कमजोर न करे। 5. कानूनी ढांचे को मजबूत करना ks: संभावित संघर्षों और अस्पष्टताओं को संबोधित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाएं।

निष्कर्ष:

जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, "हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने की स्वतंत्रता है, जो असमानताओं और विषमताओं से भरी हुई है।" समान नागरिक संहिता एक अधिक न्यायसंगत और धर्मनिरपेक्ष भारत की ओर एक कदम है। इसके कार्यान्वयन के लिए देश की विविधता का सम्मान करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता, संवाद और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

किसान कवच

केंद्रीय मंत्री ने किसान कवच लॉन्च किया, जो भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक विरोधी बॉडीसूट है, जिसका उद्देश्य किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाना है।

किसान कवच के बारे में:

• यह क्या है: किसानों को कीटनाशक विषाक्तता से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक धोने योग्य और पुन: प्रयोज्य कीटनाशक विरोधी बॉडीसूट।

• द्वारा विकसित: बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (ब्रिक-इनस्टेम), बैंगलोर, सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। लिमिटेड

• उद्देश्य: किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और कीटनाशकों के कारण होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं को रोकना।

• विशेषताएँ:

• धोने योग्य, दोबारा इस्तेमाल करने योग्य और एक साल तक टिकाऊ।

• उन्नत फैब्रिक तकनीक न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस के माध्यम से संपर्क में आने पर कीटनाशकों को निष्क्रिय कर देती है।

• कीमत ₹4,000 है, उत्पादन बढ़ने पर इसकी सामर्थ्य में वृद्धि की संभावना है।

• यह कैसे काम करता है: सूती कपड़े पर न्यूक्लियोफाइल अटैचमेंट का उपयोग करता है, जो संपर्क में आने पर हानिकारक कीटनाशकों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे विषाक्तता और सांस संबंधी विकार और दृष्टि हानि जैसे स्वास्थ्य जोखिमों को रोका जा सकता है।

आर्कटिक टुंड्रा उत्सर्जन

आर्कटिक टुंड्रा, जो कभी कार्बन सिंक था, अब बढ़ते तापमान और जंगल की आग के कारण CO2 और मीथेन (CH4) उत्सर्जित कर रहा है, जैसा कि 2024 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख किया गया है।

आर्कटिक टुंड्रा के बारे में:

• टुंड्रा वनस्पति क्या है?

o टुंड्रा वनस्पति आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जैसे ठंडे, वृक्षविहीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विरल वनस्पति जीवन को संदर्भित करती है।

o इसमें काई, लाइकेन, घास, सेज और छोटी झाड़ियाँ शामिल हैं, जो सभी कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हैं।

• पाया जाने वाला अक्षांश: आर्कटिक टुंड्रा 66.5°N से 75°N के बीच स्थित है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और रूस के क्षेत्रों में फैला हुआ है।

• विशेषताएँ: पर्माफ्रॉस्ट, कम तापमान, छोटे उगने वाले मौसम और काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियों जैसी सीमित वनस्पतियों की विशेषता।

• निवास स्थान: आर्कटिक लोमड़ियों, कारिबू, ध्रुवीय भालू और प्रवासी पक्षियों जैसी प्रजातियों का घर, जो कठोर जलवायु के अनुकूल हैं।

• महत्व:

• कार्बन भंडारण: पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी में 6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन संग्रहीत होता है।

• जलवायु विनियमन: यह बर्फ से ढकी सतह से सौर विकिरण को परावर्तित करके ग्रह के लिए शीतलन एजेंट के रूप में कार्य करता है।

आर्कटिक टुंड्रा अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है क्योंकि:

• पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना: बढ़ते तापमान (वैश्विक दर से चार गुना अधिक तापमान) सूक्ष्मजीवों को सक्रिय करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और CO2 और CH4 छोड़ते हैं।

• जंगल की आग में वृद्धि: जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और पर्माफ्रॉस्ट पिघलने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

• तापमान रिकॉर्ड: 2024 में 1900 के बाद से आर्कटिक सतह के वायु तापमान में दूसरा सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया, जिससे उत्सर्जन और बढ़ गया।

• ग्रीनहाउस गैस फीडबैक लूप: पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं, जिससे उच्च उत्सर्जन का चक्र जारी रहता है।

हिमालयन ब्रिच ट्री

जलवायु परिवर्तन मध्य हिमालय में वृक्ष रेखा परिदृश्य को बदल रहा है, जहाँ हिमालयन बर्च के पेड़ (बेतुला यूटिलिस) की जगह देवदार के पेड़ (एबिस स्पेक्टेबिलिस) ले रहे हैं।

देवदार के पेड़ों (एबिस स्पेक्टेबिलिस) के बारे में:

• यह क्या है: एक धीमी गति से बढ़ने वाला सदाबहार शंकुधारी पेड़ जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है।

• विशेषताएँ:

o सुई जैसी पत्तियाँ और शंक्वाकार आकार।

o मध्यम नमी वाले ठंडे मौसम के लिए अनुकूल।

o साल भर पत्ते बरकरार रखता है, जिससे उच्च जल-उपयोग दक्षता में योगदान मिलता है।

• पाया जाता है:

o हिमालय के मध्य से उच्च ऊँचाई (2,500-3,700 मीटर)।

o ठंडा और कम नमी वाला वातावरण पसंद करता है।

हिमालयन बर्च (बेतुला यूटिलिस) के बारे में:

• यह क्या है: हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाला पेड़।

• विशेषताएँ:

o छीलने वाली छाल और चमकीले हरे पत्तों के लिए जाना जाता है।

o जीवित रहने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है।

o सर्दियों में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जिससे पोषक चक्रण में योगदान मिलता है।

• पाया जाता है:

o हिमालय की ऊपरी ऊँचाई (2,900-4,500 मीटर)।

o गीले, बर्फ़ से भरे वातावरण में पनपता है।

तुलना: देवदार का पेड़ बनाम हिमालयन बर्च

विशेषता देवदार का पेड़ (एबिस स्पेक्टेबिलिस) हिमालयन बर्च (बेतुला यूटिलिस)

प्रकार सदाबहार शंकुधारी पर्णपाती चौड़ी पत्ती

पसंदीदा ऊंचाई 2,500–3,700 मीटर 2,900–4,500 मीटर

पानी की जरूरत मध्यम उच्च

जलवायु अनुकूलन गर्म परिस्थितियों में पनपता है गर्मी और सूखे से जूझता है

विकास धीमा, लेकिन अधिक सूखा-सहिष्णु तेज़, लेकिन पानी पर निर्भर

शीत लहर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में शीत लहर की स्थिति के साथ-साथ असम और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के लिए पूर्वानुमान जारी किए हैं।

शीत लहर के बारे में:

• परिभाषा: शीत लहर एक क्षेत्र में अत्यधिक ठंड की स्थिति है, जिसमें तापमान वर्ष के उस समय के सामान्य स्तर से काफी नीचे चला जाता है।

• शीत लहर घोषित करने के मानदंड:

• जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है।

• गंभीर शीत लहर: जब तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक नीचे होता है।

• पहाड़ियों के लिए: 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान एक मार्कर है।

• भारत में शीत लहर के पीछे भौगोलिक कारण:

• पश्चिमी विक्षोभ: कमज़ोर या कोई पश्चिमी विक्षोभ न होने से उत्तर से ठंडी हवाएँ भारत में गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं।

• हिमालय में बर्फबारी: उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएँ चलती हैं।

• साफ़ आसमान: रात के दौरान विकिरण शीतलन को सक्षम बनाता है।

• क्या भारत में शीत लहर एक घोषित आपदा है?

• हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) में शीत लहरों को आपदा वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे राहत उपाय संभव हो सके।

• भारत पर प्रभाव:

• मानव स्वास्थ्य: हाइपोथर्मिया और श्वसन संबंधी समस्याओं के मामलों में वृद्धि, विशेष रूप से कमज़ोर आबादी में।

• • कृषि: पाले के कारण गेहूं और सरसों जैसी खड़ी फसलों को नुकसान।

• ऊर्जा की मांग: हीटिंग के लिए अधिक ऊर्जा की खपत, बिजली आपूर्ति प्रणालियों पर दबाव।

• आजीविका: बाहरी श्रमिकों, विशेष रूप से किसानों और मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव।

•

o परिवहन: घने कोहरे के कारण व्यवधान, हवाई, सड़क और रेल यातायात को प्रभावित करना।

चीनी उत्पादन

अनियमित मानसून वर्षा और गर्म सर्दियों के तापमान ने भारत में चीनी उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप इस मौसम में अनुमानित 12% की कमी आई है।

भारत में चीनी उत्पादन:

• भारत की वैश्विक रैंकिंग:

अक्टूबर 2024 तक भारत चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है।

• राज्यवार चीनी उत्पादन:

भारत में गन्ने की विशेषताएँ:

जलवायु आवश्यकताएँ: उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपता है; सालाना 75-150 सेमी वर्षा और 20°C-40°C के बीच तापमान की आवश्यकता होती है।

• मिट्टी की पसंद: अच्छी जल निकासी वाली गहरी, उपजाऊ दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगती है।

• मौसमी: मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय राज्यों में अक्टूबर-मार्च में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फरवरी-मई में कटाई की जाती है।

• पानी की मांग: अत्यधिक पानी की खपत वाली फसल, जिसे अक्सर सिंचाई के साथ उगाया जाता है।

• उपयोग: चीनी उत्पादन के अलावा, इथेनॉल उत्पादन और चारे के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

गोलान हाइट्स

इज़राइली सरकार ने हाल ही में गोलान हाइट्स में अपनी आबादी को दोगुना करने की योजना की घोषणा की, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर उसने 1967 के छह दिवसीय युद्ध के दौरान कब्ज़ा किया था।

गोलान हाइट्स के बारे में:

• स्थान: गोलान हाइट्स एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पश्चिम में ऊपरी जॉर्डन नदी घाटी को देखता है।

• पड़ोसी: यह पश्चिम में इज़राइल, पूर्व में सीरिया और दक्षिण में जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है।

• भौगोलिक विशेषताएँ:
• जॉर्डन नदी, गैलिली सागर, माउंट हरमोन, वादी अल-रुक्काद और यरमुक नदी से घिरा हुआ है।
• कुल 1,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें उपजाऊ मिट्टी और प्रमुख जल संसाधन हैं।
• इतिहास:

• 1967 के छह दिवसीय युद्ध में सीरिया से इज़राइल द्वारा कब्जा कर लिया गया और 1981 में कब्जा कर लिया गया, एक ऐसा कार्य जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली।

• 2019 में, अमेरिका ने गोलान हाइट्स पर इज़राइली संप्रभुता को मान्यता दी।

• क्षेत्र का महत्व:

• सामरिक सुरक्षा: इज़राइल और सीरिया के बीच एक बफर ज़ोन के रूप में कार्य करता है।

• जल संसाधन: इसमें जॉर्डन नदी और गैलिली सागर को महत्वपूर्ण जलभृत और आपूर्ति शामिल हैं।

• कृषि महत्व: उपजाऊ मिट्टी अंगूर के बागों, बागों और चरागाहों को सहारा देती है।

• पर्यटन और बस्तियाँ: इज़रायली बस्तियों और ड्रूज़ समुदाय का घर, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।